कार्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

105

(शमन/स्वीकृत पत्र)

सेवा में, श्री सूरत सिंह पुत्र स्व. श्री दीपचन्द
मैं० रामप्रस्थ बिल्डर्स प्रा० लि०
निवासी - सी-168 रामप्रस्थ कालोनी, गा०बाद।

पत्रांक/ 415 /प्रवर्तन/जी.डी.ए./20 दिनांक:- 20-10-2015

विषय:- भूखण्ड संख्या खसरा नं० 304,294,295,296 ग्राम मुकन्दनगर प्लाट नं० 19 सिकन्दरपुर पर निर्मित भवन के निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में। प्रोजेक्ट - प्लेटिनियम

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय शमन आवेदन दिनांक 03.05.2014 शपथपत्र एवं शमन मानचित्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर सुक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 25.04.2015 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपके द्वारा शमन ~~एवं अन्य~~ आंशिक रूप से धनराशि रू० 5,73,22,000/- (पांच करोड़ तिहत्तर लाख बाईस हजार मात्र) रसीद संख्या .... दिनांक 25.5.15 ....के द्वारा जमा किये जाने पर शमन मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण को निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृत प्रदान करते हुये शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है। अवशेष धनराशि रू० 83736940/- किस्तो में देय है।

1. निर्मित भवनों के प्रयोग से पूर्व संपूर्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार संपूर्ति प्रमाण -पत्र लेने से पूर्व मौके पर सुनिश्चित करनी होगी (300.00 वर्गमी० अथवा इससे अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल होने पर लागू)।
3. स्वीकृत शमन मानचित्र में स्वीकृति आच्छादन के अनुसार आवश्यक वृक्षारोपण सुनिशचित करना होगा।
4. शपथ पत्र दिनांक 18.10.2014 में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. उपरोक्त बिन्दु 2 से 4 तक की शर्तो के अनुपालन के उपरान्त ही संपूर्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा।
6. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।
7. शमन उपरान्त स्वीकृत इकाईयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नहीं करेंगे।
8. मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 43362/2001 एवं 2435 एम.बी./2001 में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना होगा।
9. शमन मानचित्र की स्वीकृति के मद में गणनाओं में त्रुटिवश यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो प्रधिकरण में जमा करानी होगी।
10. शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होगे।
11. शमनित भवन की गुणवत्ता, मान्य तकनीकी मानको, स्ट्रक्चरल डिजाईन आदि में कमी अथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए आप स्वंय उत्तरदायी होगें।
12. पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या/ 1594/T.HAI /जोन 1.2010-11 दिनांक 07.06.2011 एवम अन्य में दी गई शर्तो एवं उपरोक्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तो का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होगें।

13- अतिरिक्त शमन से सम्बन्धित 15 शर्ते इस पत्र के साथ संलग्न हैं जिनका समस्त भाग (पत्र के पृष्ठ भाग पर छपा है)

भवदीय

संलग्नक : शमन मानचित्र की एक प्रति उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर) 20/10/15

अवर अभियन्ता (प्रवर्तन) सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन)